189

संख्या– 1068 / XIX-1 / 14–172 / 2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 19 अगस्त 2014

विषयः– सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु अनुदान सं0–25 के लेखाशीर्षक 4408 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–165 / आ0ले0शा0 / कम्प्यूटरीकरण / 2014–15, दिनांक–08.07.2014 के सन्दर्भ में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु, चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुदान सं0–25 के लेखाशीर्षक 4408 के अन्तर्गत, आयोजनागत पक्ष में, प्राविधानित धनराशि रू0–3.00 करोड़ (रू0–तीन करोड़ मात्र), निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन, वित्तीय वर्ष 2014–15 में, आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– स्वीकृत धनराशि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उसी मद में व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में, उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यो / मदों के क्रियान्वयन के लिये नहीं किया जायेगा। साथ ही संचालन, रखरखाव, सुरक्षा, समन्वय campatibility सहित m/s आदि सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी यथोचित रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में, शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

–02–

3– यह सुनिश्चित किया जाये कि, स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यथास्थिति जहां आवश्यक हो वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण यथासमय बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाये।

5– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाये।

6– वित्त विभाग के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012, दिनांक–28.03.2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि का आहरण इन्टरनेट पर डाउनलोड साफ्टवेयर के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये।

7– इस सम्बन्ध में, होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय के अनुदान सं0–25 के लेखाशीर्षक 4408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय–01–खाद्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रद्वारा पुरोनिधानित योजनायें 02–उत्तराखण्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण–42–अन्य व्यय की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–37P/XXVII/(5)/2014–15 दिनांक–19.08.2014 में निहित व्यवस्थानुसार उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1068/ XIX-1/14–172/खाद्य/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी साईवर ट्रेजरी देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–5/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आन सिंह बोरा)
अनुसचिव।